उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-43/353/एक-1-2016-5(4)/2016

लखनऊः दिनॉकः 11 अगस्त, 2016

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए अमेठी ऊचाहार नई रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे विभाग, भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

<u>अनुसूची</u>

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	खसरा/ गाटा नं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमेठी	गौरीगंज	अमेठी	सम्भांवा	560 मि.	0.0630	लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए भारत सरकार को अमेठी ऊचाहार नई रेल लाइन परियोजना हेतु
2					564 मि.	0.0200	
3					2571 मि.	0.0220	
4					2566 मि.	0.1900	
5					584 मि.	0.0100	
6					597 मि.	0.0100	
7					612 खमि.	0.0030	
8					620 मि.	0.0120	
9					2559 मि.	0.0090	
10					2572 मि.	0.0130	
11					2574 मि.	0.0030	
12					689 मि.	0.0130	
13					690 मि.	0.0900	
14					692 मि.	0.0100	
15					693 मि.	0.1360	
16					702 मि.	0.0030	
17					703 मि.	0.0630	

shasnadesh.up.nic.in

-2-

18					704 मि.	0.0020	
19					2564 मि.	0.0040	
20					2565 मि.	0.2150	
21					2576 मि.	0.0210	
22				लालशाहपुर	215	0.1260	
23					222 मि.	0.0520	
24					288 मि.	0.0350	
25					303 मि.	0.0330	
26					358 मि.	0.0060	
27					370 मि.	0.0400	
28					289 मि.	0.0510	
29					315 मि.	0.0050	
30					317 मि.	0.0040	
31					357 मि.	0.0040	
32					322	0.2030	
33					338 मि.	0.1900	
34				पठानपुर	371मि.	0.0140	
35					398 मि.	0.0128	
36					404 मि.	0.0030	
37					1155 मि.	0.0064	
38					1145 मि.	0.0064	
39					1135 मि.	0.0320	
40					396 मि.	0.1200	
41					411 मि.	0.0600	
42					1107 मि.	0.0450	
43					501 मि.	0.0510	
44					1101 मि.	0.0060	
45					1153 मि.	0.0630	
46					1211 मि.	0.0050	
47					1238 मि.	0.0020	
48					370 मि.	0.0130	
49				पहाडगंज	7 मि.	0.1024	

shasnadesh.up.nic.in

50					10 मि.	0.0120	

-3-

51					483 मि.	0.0120	
52					142 मि.	0.1730	
53					20 मि.	0.0120	
54					450 मि.	0.0130	
55					388 मि.	0.0120	
56		अमेठी	अमेठी	रायपुरफुलवारी	859	0.0210	
57					929	0.0150	
58					935	0.0060	
59					945	0.0190	
60					946	0.0140	
61					958	0.0040	
62					959	0.0110	
63					1045 क	0.0030	
64					1045ख	0.030	
65					1048क	0.0680	
66					1048ख	0.0680	
67					1164	0.0090	
68					1124	0.0060	
69					1128	0.0040	
70					1526	0.0060	
71				सुन्दरपुर	162	0.0030	
72					160	0.2700	
73					215	0.0090	
74					261	0.0030	
75					265	0.0090	
76				कटरा हुलासी	73	0.0750	
77					74	0.0260	
78					81	0.0570	
79					95	0.1360	
80					115	0.0130	
81					121	0.0230	

shasnadesh.up.nic.in

82					123	0.0210	
83					156	0.0920	

-4-

84					255	0.0420	
85					257	0.0200	
86					261	0.0220	
87				उमापुरगानापटटी	429	0.1140	
88					516	0.0290	
89					597	0.0210	
90					876	0.0180	
91					891	0.1080	
92					899	0.0150	
93					846	0.0120	
94					865	0.0100	
95				दरखा	1217	0.3030	
96					1297	0.020	
97					1364	0.1190	
98				जंगलरामनगर	3500	0.0130	
99					3504	0.0170	
100					3517	0.0270	
101					3522	0.0170	
					कुल 101 गाटा	**4.385 हे0**	

2. इस आदेश की प्रतियॉं कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार अमेठी ऊचाहार नई रेल लाइन परियोजना की स्थापना हेतु पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष

shasnadesh.up.nic.in

देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराया जायेगा।

-5-

4. शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार जब विकास की बड़ी योजनाओं/कार्यो हेतु भूमि का बड़ा क्षेत्रफल क्रय/अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके मध्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियां, जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, यथा-चकरोड, चकमार्ग, रास्ता, नाली, नाला, खलिहान, होलिका स्थल, खाद के गढडे, पशुचर, हड़ावर, शमसान स्थल व तालाब/पोखर आदि भी स्वाभाविक रूप से आते है। इसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं का कार्य तो बाधित होता ही है साथ ही ग्रामीणों को असुविधा भी होती है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमियों के शासन स्तर पर पुनर्ग्रहण/विनिमय या किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में परिवर्तन किये जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार के विभागों को भूमि विनिमय के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय अर्थात् संस्था द्वारा उसी ग्राम पंचायत में अवस्थित योजना की अपने स्वामित्व की भूमि से ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय किया जायेगा। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। अतः व्यापक जनहित के दृष्टिगत अमेठी ऊचाहार नई रेल लाइन परियोजना हेतु लोक प्रयोजन की भूमि के श्रेणी परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है।

5. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा शासनादेशों के आलोक में अमेठी ऊँचाहार नई रेल परियोजना हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 101 गाटा रकबा 4.385 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण रेलवे विभाग, भारत सरकार हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

6. रेलवे विभाग, भारत सरकार के उपयोगार्थ सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-सेक्टर मार्ग, चकमार्ग, मुख्य मार्ग, रास्ता, नाली, नहर व पठानपुर माइनर की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा सेक्टर मार्ग, चकमार्ग, मुख्य मार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा नाली, नहर व पठानपुर माइनर के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्व नहीं करेंगे।

shasnadesh.up.nic.in

7. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-4787/2001 हिन्च लाल तिवारी बनाम कमला देवी आदि में पारित आदेश दिनॉक 25-07-2001 में तालाब, पोखरों एवं जलाशयों तथा अन्य जल प्रणालियों के वर्तमान स्वरूप को अपरिवर्तित बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, अर्थात् उनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन न किया जाये। अमेठी-ऊँचाहार नई रेल परियोजना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तालाब की भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति इस शर्त के

-6-

अधीन प्रदान की जा रही है कि रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप तालाब आदि के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भॉति तालाब का स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता बनाये रखेंगे और उसे अपने व्यय पर खुदाई कराकर और गहरा करायेंगे। रेलवे विभाग, भारत सरकार तालाब पर डेन/पुल/पुलिया का निर्माण कराते हुए नैसर्गिक जल प्रवाह एवं प्राकृतिक स्वरूप को यथावत बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के प्रस्तर-5 के अनुसार यदि अमेठी ऊँचाहार नई रेल परियोजना हेतु रेलवे विभाग, भारत सरकार सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऐसा कर पाने में सक्षम न हो तो ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सके ताकि ग्राम वासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सकें। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनिमय के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था द्वारा ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर तालाब/पोखर/ घौला आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की दशा में संस्था से भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा कलेक्टर तालाब/पोखर/घौला आदि की उपयोगिता के आधार पर समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा संस्था को हस्तान्तरित करेंगे। यह कार्यवाही 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जायेगी ताकि ग्राम वासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कलेक्टर द्वारा उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्ण सूचना तथा जॉच रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्रता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. प्रस्तर-1 में उल्लिखित सुरक्षित श्रेणी की भूमि यथा-क्रमांक-12 से 21 (पशुचर), 22 (अम्बेडकर पार्क), 40 (मरथल), 43 (चरागाह), 52, 63 (शमशान), 59, 64, 65 (खलिहान), 66, 71 (कब्रिस्तान) व 95 (वृक्षारोपण भूमि) की भूमि, का पुनर्ग्रहण यदि आवश्यक हो तो शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार ग्राम

shasnadesh.up.nic.in

पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियों के श्रेणी परिवर्तन की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जा रही है कि शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता हेतु आरक्षित लोक प्रयोजन की भूमियों का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-101 के अधीन संस्था की भूमि से विनिमय किया जायेगा। भारत सरकार के विभागों से श्रेणी परिवर्तन शुल्क कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि

-7-

लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" में जमा कराया जायेगा। कलेक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मरथल, शमशान व कब्रिस्तान की भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका न हो। यदि हॉ, तो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का हस्तान्तरण/कब्जा नहीं दिया जायेगा।

9. यदि रेलवे विभाग, भारत सरकार विनिमय हेतु भूमि उपलब्ध कराने में सक्षम न हों तो ऐसी दशा में जिलाधिकारी द्वारा सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियॉ उसी ग्राम पंचायत में उसी सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित किया जायेगा और लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन मूल्य तथा ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट, जो अधिक हों तथा मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त करते हुए पुनर्ग्रहीत भूमि संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धो का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

10. कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 व शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-43/353(1)/एक-1-2016-5(4)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

shasnadesh.up.nic.in

4. जिलाधिकारी, अमेठी को उनके पत्र संख्या- 208, 209, 210, 211, /डीएलआरसी/16, दिनॉक 22.01.2016, पत्र संख्या-213, 214, 215, 216, 217, 218/डीएलआरसी/16, दिनॉक 01.02.2016 के सन्दर्भ में।
5. उप मुख्य अभियन्ता, निर्माण-1, उत्तर रेलवे, लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in